प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– बनबसा।

तहसील– टनकपुर, जिला–बनबसा ।

आम सभा बैठक प्रमाण–प्रत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अर्न्तगत नगर पंचायत बनबसा द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु (**0.80 है0** आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.80 है0** वन भूमि का नगर पंचायत बनबसा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बनबसा द्वारा दिनांक 14/02/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बनबसा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एंव सही है।

Gupta

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बनबसा
वि०ख०/जनपद–चम्पावत

कमलेश देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

दिनांक 14/02/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत :– बनबसा।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Rajendra K Chand	
	जगदीश सिंह रावत	
	प्रेमा देवी	
	अनीता चन्द्र	
	Mohan Chand	
	कमलेश देवी	
	भास्कर दत्त	

कमलेश देवी
ग्राम प्रधान
बनबसा

ग्राम प्रधान

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी टनकपुर।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत बनबसा में कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु (0.80 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.80 है0 वन भूमि**) का नगर पंचायत बनबसा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–टनकपुर) की दिनांक 08-02-2018 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः–

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्याल, उप जिलाधिकारी, टनकपुर एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनिल कुमार चन्याल, उप जिलाधिकारी टनकपुर, अध्यक्ष।
2– श्री बाबू लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, खटीमा, सदस्य।
3– श्री जितेन्द्र चन्द्र पन्त, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, टनकपुर, सदस्य/सचिव।
4– श्री पुष्कर कापड़ी, बी0डी0सी0 क्षेत्र, अनवला, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी टनकपुर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि नगर पंचायत बनबसा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी खटीमा द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, टनकपुर परिक्षेत्र के अर्न्तगत उक्त ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि नगर पंचायत बनबसा को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टनकपुर
चम्पावत।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–टनकपुर
चम्पावत।

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि नगर पंचायत बनबसा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, चम्पावत।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा के ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु (0.80 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.80 है0 वन भूमि**) का नगर पंचायत बनबसा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिला स्तरीय समिति (चम्पावत) की दिनांक 7/3/2018 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः–

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद चम्पावत की बैठक डॉ0 अहमद इकबाल, जिलाधिकारी चम्पावत स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– डॉ0 अहमद इकबाल, जिलाधिकारी चम्पावत, अध्यक्ष।
2– श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, सचिव/सदस्य।
3– श्री आर. सी. तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत सचिव/सदस्य।
4– श्रीमती ऊषा गुरुरानी, जिला पंचायत सदस्य, बनबसा सचिव/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी चम्पावत की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि नगर पंचायत बनबसा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद चम्पावत के अर्न्तगत उक्त ट्रंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 है0 वन भूमि नगर पंचायत बनबसा को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
चम्पावत।
जिलाधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

Annexure-II
Form-II
(for projects other than linear projects)
Goverment of Uttarakhand
Office of the District Collector Champawat (U.K.)

No..... Dated 07/03/2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completd the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.80** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive officer, Nagar panchayat Banbasa (Distt. Champawat)** for the **Construction of Trenching Ground** in **Champawat** District falls within jurisdiction of **Banbasa** village(s) in **Tanakpur** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.80** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the Distict Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure 05.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ pocesses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Banbasa** villages(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.3 and Annexure II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under sation 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

Signature
(Full name and oficial seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम– नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT– Champawat (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ahmed Iqbal, I.A.S. deputy commissioner, Champawat on dated 07/03/2018..... at time .1.00. at Champawat in which application claiming rights in **8000** Sq. Meter/area measuring **0.80** hectares for the **Construction of Trenching Ground.** Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tanakpur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Champawat.

Dated ...07/03/2018

Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चम्पावत